



प्रेस नोट-223 / 2026

दिनांक 24.04.2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा रेलवे सुरक्षा, पत्थरबाजी की घटनाओं के दृष्टिगत की गयी "राज्य स्तरीय रेलवे सुरक्षा समिति" गोष्ठी की अध्यक्षता।

- पुलिस मुख्यालय पर "राज्य स्तरीय रेलवे सुरक्षा समिति" की गोष्ठी आयोजित।
- पुलिस मुख्यालय में आयोजित राज्य स्तरीय रेलवे सुरक्षा समिति की गोष्ठी में डीजी रेलवे, एडीजी कानून-व्यवस्था, आईजी अभिसूचना, आईजी रेलवे, असिस्टेंट डायरेक्टर आई.बी. सहित रेलवे के विभिन्न जोनों के डीआरएम एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रतिभाग किया।
- गोष्ठी के दौरान रेलवे सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर गहन विचार-विमर्श किया गया तथा सुरक्षा व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाने पर विशेष बल दिया गया।

श्री राजीव कृष्ण पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 की अध्यक्षता में आज दिनांक 24.04.2026 को रेलवे सुरक्षा, पत्थरबाजी की घटनाओं के दृष्टिगत "राज्य स्तरीय रेलवे सुरक्षा समिति" गोष्ठी की गयी।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 ने कहा कि- भारतीय रेलवे राष्ट्र की लाइफलाइन है इसकी सुरक्षा सर्वोपरि है। रेलवे सुरक्षा से संबंधित सभी एजेंसियों में परस्पर समन्वय आवश्यक है। उन्होंने महाकुंभ मेला-2025 के दौरान रेलवे, आरपीएफ एवं जीआरपी द्वारा लगभग 06 करोड़ लोगों को ट्रेन द्वारा घटना रहित प्रयागराज आगमन एवं सकुशल वापसी को राष्ट्रीय स्तर पर एक रोल मॉडल की तरह स्वीकारोक्ति मिलने पर सभी की प्रशंसा की गयी। उन्होंने आगे कहा कि विगत वर्षों में ट्रेनों की संख्या, रेल यात्रियों की संख्या तथा रेलवे स्टेशनों और प्लेटफार्मों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिसके दृष्टिगत सुरक्षा प्रबंधन को और अधिक सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाना आवश्यक है।

गोष्ठी में श्री प्रकाश डी0, पुलिस महानिदेशक रेलवे उ0प्र0 द्वारा रेलवे सुरक्षा से सम्बन्धित विभिन्न बिन्दुओं जैसे- तकनीकी संवर्धन, ट्रेनों पर पत्थरबाजी के नियंत्रण, ट्रैक अवरोध की घटनाओं की रोकथाम, जीआरपी/आरपीएफ की संयुक्त रूप से ट्रैक पेट्रोलिंग, इन्फ्रास्ट्रक्चर आदि विषयों को रेखांकित करते हुए प्रजेन्टेशन दिया गया तथा रेल यात्रियों की सुरक्षित एवं सुखद रेल यात्रा एवं अपराध नियंत्रण, भीड़ प्रबन्धन एवं रेलवे सुरक्षा में आधुनिक तकनीक के प्रभावशाली प्रयोग करने पर विचार-विमर्श किया गया।

गोष्ठी के दौरान श्री अमिताभ यश, अपर पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था ने हाल में एटीएस द्वारा अनावरित घटना के दृष्टिगत रेलवे नेटवर्क में छोटी घटनाओं को आतंकवादी एवं विघटनकारी गतिविधियों के दृष्टिगत भी गहनता से जांच करने की आवश्यकता बतायी गयी।

इस अवसर पर श्री उपेन्द्र अग्रवाल, पुलिस महानिरीक्षक अभिसूचना उ0प्र0, श्री आर.के. भारद्वाज, पुलिस महानिरीक्षक रेलवे लखनऊ, श्री शिवजी सिंह असिस्टेंट डायरेक्टर आईबी सहित रेलवे के विभिन्न जोन (NR, NER, NCR, WCR, ECR) के डीआरएम, चीफ रेलवे टैक इंजीनियर, पुलिस महानिरीक्षक आरपीएफ तथा रेलवे/जीआरपी/आरपीएफ के अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण द्वारा प्रतिभाग किया गया।





प्रेस नोट-224 / 2026

दिनांक 24.04.2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की लखनऊ तथा बांदा इकाइयों द्वारा अलग-अलग स्थानों पर की गयी ट्रेप की कार्रवाई

मा० मुख्यमंत्री उ0प्र0, श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध “जीरो टॉलरेंस” की नीति तथा पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, श्री राजीव कृष्ण के सख्त निर्देशों के अनुपालन में आज दिनांक 24.04.2026 को भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की लखनऊ तथा बांदा इकाइयों द्वारा दो अलग-अलग स्थानों पर ट्रेप की कार्रवाई की गयी।

1- भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की लखनऊ इकाई द्वारा श्री मुस्तकीम आलम निवासी बभनाखेड़ा थाना बधौली जनपद हरदोई से ट्युवेल के लिए कनेक्शन तथा ट्रांसफर लगाने के लिए स्टीमेट बनाने के एवज में अवैध धनराशि की मांग के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर निरीक्षक श्री टी0पी0 वर्मा के नेतृत्व में विद्युत उपकेन्द्र कराही हरदोई से **अवर अभियन्ता पवन कुमार वर्मा (विद्युत उपकेन्द्र कराही हरदोई)** पुत्र स्व0 राम प्रसाद वर्मा निवासी आवास विकास कॉलोनी कोतवाली उन्नाव को **22 हजार रुपये रिश्वत** लेते हुए गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

2- भ्रष्टाचार निवारण संगठन बांदा इकाई द्वारा श्री मानवेन्द्र सिंह उर्फ संदीप सिंह निवासी छानीकला थाना कबरई जनपद महोबा से नक्शा दुरुस्तीकरण कराने के एवज में अवैध धनराशि की मांग के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर निरीक्षक श्री राकेश बहादुर सिंह के नेतृत्व में नेशनल गैरिज डेप्टिंग पेटिंग कार, एसी, साहू पेट्रोल के सामने कानपुर रोड महोबा से **राजस्व निरीक्षक ओम प्रकाश निगम (क्षेत्र खन्ना इंचार्ज सुरहा)** पुत्र स्व0 राम नारायण निगम निवासी हिन्द टायर वाली गली नं0-4 मोहल्ला गांधीनगर महोबा को **05 हजार रुपये रिश्वत** लेते हुए गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।



प्रेस नोट-225 / 2026

दिनांक 24.04.2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद फिरोजाबाद / थाना टूण्डला

- पुलिस कार्यवाही में 25-25 हजार रुपये के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार
 - लूट के 95 हजार 880 रुपये नगद
 - 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित / खोखा कारतूस
 - घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद

दिनांक 23.04.2026 को थाना टूण्डला व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुराना बाईपास रोड हमीरपुर बंबे के रास्ते पर बदमाशों की घेराबन्दी की गई तो बदमाशों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त 1-कुलदीप 2-निखिल उर्फ कान्हा उर्फ गुलडोरी घायल हो गये, जिन्हे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे / निशादेही से लूट के 95 हजार 880 रुपये नगद, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित / खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जो थाना टूण्डला पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25-25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना टूण्डला पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1-कुलदीप निवासी रिठोरी थाना कारागोल कमिश्नरेट आगरा।

2-निखिल उर्फ कान्हा उर्फ गुलडोरी निवासी रिठोरी थाना कारागोल कमिश्नरेट आगरा।

बरामदगी

- 1-लूट के 95 हजार 880 रूपये नगद।
- 2-02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।
- 3-घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि।

जनपद संतकबीरनगर/थाना कोतवाली खलीलाबाद

- 04 अभियुक्त गिरफ्तार
- धोखाधड़ी के 56 हजार रूपये नगद
- घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल, 01 चार पहिया वाहन बरामद

दिनांक 24.04.2026 को थाना कोतवाली खलीलाबाद व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम बयारा के पास से 04 अभियुक्तों 1-ओमकार उर्फ बब्बू 2-पिन्टू 3-रामबहादुर 4-रामनयन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से धोखाधड़ी के 56 हजार रूपये नगद, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल, 01 चार पहिया वाहन बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1-ओमकार उर्फ बब्बू निवासी कमोखर थाना मुण्डेरवा जनपद बस्ती।
- 2-पिन्टू निवासी पारा हरिगोविन्द थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर।
- 3-रामबहादुर निवासी दुधरा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।
- 4-रामनयन निवासी गौरापार थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

बरामदगी

- 1-धोखाधड़ी के 56 हजार रूपये नगद।
- 2-घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल, 01 चार पहिया वाहन।

जनपद कुशीनगर/थाना कसया

- 02 अभियुक्त गिरफ्तार
- लगभग 11 लाख रूपये कीमत के 204 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब
- 01 मोटर साइकिल, 01 मिनी ट्रक, 01 पिकअप, 01 डीसीएम वाहन बरामद

दिनांक 24.04.2026 को थाना कसया पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों 1- अनीश अहमद 2- शिशुपाल को गिरफ्तार किया

गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 11 लाख रुपये कीमत के 204 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब, 01 मोटर साइकिल, 01 मिनी ट्रक, 01 पिकअप, 01 डीसीएम वाहन बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना कसया पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1-अनीश अहमद निवासी रहसु जनोबी पट्टी थाना चौराखास जनपद कुशीनगर।

2-शिशुपाल निवासी परसौनी फाजिलनगर थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर।

बरामदगी

1-लगभग 11 लाख रुपये कीमत के 204 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब।

2-01 मोटर साइकिल, 01 मिनी ट्रक, 01 पिकअप, 01 डीसीएम वाहन।
